17-10-23	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से तैयार करा कर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

अहकाम और
हुक्म की ता...
में जारी हु...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—हुकमीचन्द रोहलानिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या — वाद पत्र 80 / 2019

अनवान प्रकरण

1—काना पिता रामचन्द्र तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—बद्री पिता मांगू तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—सत्यनारायण पिता डूंगा तेली निवासी माण्डल जिला भीलवाड़ा ———वादीगण

बनाम

1—गोपाल पिता मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—बाबूलाल पिता मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—सरजू पत्नि मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—मांगी पुत्री मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5—शांता पुत्री मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6—सीता पुत्री मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7—मीना पुत्री मूला तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8—गोदी पुत्री चैना तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल मृतक के बजाय—
8 / 1—कालू पिता नन्दलाल तेली निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड़ा
8 / 2—शंकर पिता नन्दलाल तेली निवासी सांगानेर तहसील भीलवाड़ा
8 / 3—सोहनीबाई पत्नि नन्दलाल तेली निवासी सांगानेरी तहसील भीलवाड़ा
9—मोहनलाल पिता छोगा तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10—राधेश्याम पिता भंवरलाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
11—शंकर पिता भंवरलाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
12—नन्दु देवी पत्नि भंवरलाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13—लादी पुत्री भंवरलाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14—भीमा पिता छीतर तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
15—वंशी पिता छीतर तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
16—फुमा पत्नि छीतर तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के फौत होने से आदेश दिनांक 08.09.2023 से नाम हटाया गया।
17—पानी पुत्री छीतर पत्नि हरदेव तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
18—कमला पुत्री छीतर पत्नि जमना तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
19—शंकर पिता मांगू तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
20—शांति पुत्री मांगू पत्नि लादूलाल तेली निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द
21—मानी पुत्री मांगू पत्नि सत्तू तेली निवासी मेजा तहसील माण्डल
22—सुगना पुत्री मांगू पत्नि उत्सवलाल तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
23—जमना पुत्री मांगू पत्नि चुन्नीलाल तेली निवासी ... तहसील माण्डल
24—जसु पुत्री मांगू पत्नि प्यारा तेली निवासी लो... तहसील बनेड़ा
25—जमना पिता रामचन्द्र तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
26—नन्दू पुत्री रामचन्द्र पत्नि हीरालाल तेली निवासी ... तहसील माण्डल
27—रतनलाल पिता नन्दा तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
28—कालू पिता नन्दा तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

29–नारायणी पत्नि नन्दा तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
30–रतनी पुत्री नन्दा पत्नि मदन तेली निवासी नई अमरगढ़ तहसील माण्डल
31–दिनेश पिता सुवालाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
32–लेहरूलाल पिता सुवालाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
33–कंकू पत्नि सुवालाल तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल
34–गीता पुत्री सुवालाल पत्नि प्रभू तेली निवासी पीथास तहसील माण्डल
35–भूरी पुत्री सुवालाल पत्नि ऋणराज उर्फ रणजीत तेली निवासी लादुवास तहसील माण्डल
36–बदाम पुत्री डुंगा पत्नि भगवान तेली निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
37–सोसी पत्नि डुंगा तेली निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
38–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा
(वाद पत्र बाबत– खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 राज0काश्त0अधिनियम)

––––0––––

उपस्थितः– वकील वादीया – श्री शरद कुमार पालीवाल
वकील प्रतिवादीगण –एक पक्षीय

––––0––––

निर्णय दिनांक 17.10.2023

वादीगण के द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि सरहद माण्डल पअवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 9040 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित होकर रामा पिता धूला तेली का 9/17 हिस्सा व 8/17 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 18 का है।

2–यह कि रामा पिता धूली तेली का निधन हो चुका है जिसके एकमात्र पुत्र हजारी है जिसका वर्ष 1990 में निधन हो गया है। हजारी के 3 पुत्र मांगू, रामचन्द्र, डूंगा हुए जिनका निधन हो चुका है। मांगू के वारिसान वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 24 है, रामचन्द्र के वारिसान वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 25 व 26 है व डूंगा के 3 पुत्र नन्दा, सुवालाल, सत्यनारायण व पुत्री बदाम व पत्नि सोसी है, जिसमें नन्दा व सुवालाल का देहान्त हो चुका है, नन्दा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 30 व सुवालाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 31 लगायत 35 है। इस प्रकार डूंगा के वारिसान वादी संख्या 03 एवं प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 27 है।

3–यह कि खातेदार भंवर पिता छोगा तेली का निधन हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 है व खातेदार छीतर पुत्र कालू का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 18 है।

4–यह कि रामा पिता धूला तेली के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी वादी गण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है। खातेदार रामा पिता धूला तेली की मृत्यु हो [illegible] वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 38 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर उनकी [illegible] नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 के नाम खोलने हेतु निवेदन किया गया व दिनांक 05.08.2019 को निवेदन किया लेकिन खातेदार रामा पिता धूला तेली की मृत्यु काफी वर्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaiya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जि0 भीलवाड़ा

पूर्व हो जाने से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 के नाम दर्ज करने से मना कर दिया इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौवत पेश आयी है।

5—यह कि ग्राम माण्डल पटवार सर्कल माण्डल में आराजी नम्बर 9040 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि में खातेदार रामा पिता धूला की विरासत से उसका हक हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 के नाम पर दर्ज की जाकर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाने की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 18 सहखातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

6—यह कि ग्राम माण्डल पटवार सर्कल माण्डल की आराजी नम्बर 9040 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा में रामा पिता धूला की विरासत से उसके 9/17 हक हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 के नाम पर दर्ज की जाकर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाने की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमायी जावे।

7—वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 07, 09 से 15, 17, 18, 21 से 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37 के खिलाफ दिनांक 15.11.2019 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 35 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2021 को तथा प्रतिवादी संख्या 13 व 30 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2023 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 फूमा पत्नि छीतर तेली फौत हो चुकी है जिसके वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर होने से अलग से कायम मुकाम की आवश्यकता नहीं होने से दिनांक 20.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसे दिनांक 08.09.2023 को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 16 का नाम हटाये जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 8 के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/3 व 19, 20, 28, 34, 38 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने से दिनांक 08.09.2023 को एक तरफा आदेश पारित किया गया ।

8—यह कि वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा हो जाने से किसी प्रकार की तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण के द्वारा अपने वाद की ताईद में ग्राम माण्डल की आ0नं0 9040 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श—पी 1, नन्दलाल पिता डूंगा तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—9ए, मांगीलाल पिता हजारी तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—8ए , डूंगा पिता हजारी तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—6ए, सुवालाल पिता डूंगा तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—7ए, वादीगण के द्वारा तहसीलदार साहब माण्डल के समक्ष विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2019 को पेश किया जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—2, रामा पिता धूला तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—3ए, हजारी पिता रामा तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—4ए, रामचन्द्र पिता हजारी तेली का मृत्यु प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श—5ए प्रस्तुत किए।

9—यह कि वादीगण की ओर से अपने व[illegible] दस्तावेजों एव अपने वाद के तथ्यों की पुष्टि में शहादत वादी में काना पिता [illegible] तेली निवासी माण्डल का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जो पी0डब्ल्यू0—1 [illegible] पिता [illegible] तेली निवासी माण्डल का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जो पी0डब्ल्यू0—2, [illegible] निवासी माण्डल का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जो पी0डब्ल्यू0—3 के मौखि[illegible] बयान कलमबद्ध कराये अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

10— यह कि वादीगण का वाद एक तरफा होने से वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम माण्डल में आराजी नम्बर 3040 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 27 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। वादवर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 का 8/17 हक हिस्सा है जिनके विरूद्ध हम वादीगण के द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वाद वर्णित आराजी हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 से लगायत 37 की पैतृक सम्पत्ति है जो कि स्व0 रामा पिता धूलाजी की खातेदारी की थी। जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम माण्डल के खाता संख्या 356 की प्रदर्श–पी–1 पेश की जिसमें आराजी नम्बर 9040 में रामा पिता धूला तेली का 9/17 हक हिस्सा दर्ज है। रामा पिता धूला फौत हो चुके हैं तथा हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 तक इनके विधिक वारिस होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस होने से हमारा हक हिस्सा निहीत है। सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं परन्तु खाते में रामा पिता धूला के स्थान पर हमारे नाम पर तहसीलदार माण्डल द्वारा विरासत दर्ज नहीं की गई जबकि तहसीलदार साहब माण्डल के समक्ष हमारे द्वारा रामाजी की विरासत दर्ज करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2019 को पेश किया जो प्रदर्श–2 है। तहसीलदार साहब माण्डल द्वारा विरासत दर्ज नहीं किए जाने से यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर पूर्णतया सिद्ध कराया है। अतः निवेदन है कि रामा पिता धूला तेली निवासी माण्डल के 9/17 हक हिस्से में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित फरमा वाद डिक्री फरमाया जावे।

11— हमने वकील वादीगण की बहस सुनी तथा वाद में अंकित तथ्यों पर मनन किए जाने पर यह पाया कि ग्राम माण्डल की आराजी नम्बर 9040 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा में 9/17 हक हिस्सा रामा पिता धूला तेली साकिन माण्डल के नाम खातेदारी से दर्ज है जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम माण्डल के खाता संख्या 356 की प्रदर्श–पी–1 से सिद्ध होता है। वादीगण के द्वारा वाद में जिस प्रकार सजरा अंकित किया है उसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के द्वारा खण्डन के रूप में कोई जवाब या साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे वाद में वर्णित सजरे को माने जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। वादीगण के द्वारा मूल पुरूष रामा पिता धूला, एवं रामा के पुत्र हजारी पिता रामा एवं हजारी के पुत्र रामचन्द्र, मांगू व डूंगा की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सभी के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करा पुष्टि की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 को रामा पिता धूला तेली निवासी माण्डल के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित है। अतएव

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान का[illegible]धिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स[illegible] डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम माण्[illegible] तहसील माण्डल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खा[illegible] आराजी नम्बर 9040 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में रामा पिता धूला तेली निवासी माण्डल के 9/17 हक हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 37 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2023 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested